

दिनांक 02.04.2021

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 हेतु नियत है। वाद बिन्दु संख्या 2 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2:-

वाद बिन्दु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है अतः इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर ही है। प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में वादी के वाद पत्र के कथन को स्वीकार किया है।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि दावा की मालियत कीमत 1000/- रुपया है।

उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

O.S. No. 382/18

वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। दावा का मूल्यांकन निर्धारित करने के सम्बन्ध में अवलोकन करने पर वाद मूल्यांकन अधिनियम 1887 की धारा 8 के अनुसार उ0प्र0 में धारा 4 में वर्णित भूमि से सम्बन्धित कतिपय वादों के अतिरिक्त अन्य वादों में वाद का मूल्यांकन न्यायालय के क्षेत्राधिकार और न्यायशुल्क अदा करने के प्रयोजन के लिये एक समान रूप से न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 में उपबन्धित के अनुसार उक्त वाद में प्रभावित सम्पत्ति के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। धारा 3 के अधीन विरचित किये गये नियम उ0प्र0 वाद मूल्यांकन नियमावली 1942 की धारा 3 के अनुसार वाद का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

वादी के द्वारा दावा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है इसलिये न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(VI-A) के अनुसार परन्तुक में मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि विवादित सम्पत्ति भूमि है और वाद का मूल्यांकन निर्धारित करने के संबंध में वादी के कथनों को समर्थन प्राप्त होता है। प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति किया गया है परन्तु उसके द्वारा कोई भी स्पष्ट कथन एवं अभिलेखीय साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर यह अवधारित किया जा सके कि वाद का मूल्यांकन किस आधार पर और कितना नियत किया जाना चाहिये।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद का मूल्यांकन वादी द्वारा वाद पत्र में किये गये अभिवचनों के आधार पर और मांगे गये अनुतोष के आधार पर नियत किया जाना चाहिये।

उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस मत का है कि वादी ने इस वाद का मूल्यांकन प्रभावित सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार 1000/- रुपये नियत किया है, जो कि उचित है।

प्रतिवादीगण इस वाद बिन्दु को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन सही किया गया है।

तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-2 सकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-3:-

वाद बिन्दु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है अतः इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर ही है। प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र उपरोक्त कथन से सहमति जताई गई है।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि दावा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मु0 1000/-रु0 पर मु0 22.50/-रु0 की कोर्ट फीस अदा की गयी है जो कि वाद की मालियात के हिसाब से पर्याप्त है।

उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दावा स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी ने विवादित सम्पत्ति को भूमि कहा है। न्यायशुल्क निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवलोकन करने पर न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7(VI-A)बी के स्पष्टीकरण के अनुसार 7(V) 1 के अनुसार न्याय शुल्क देय होगा।

वाद बिन्दु संख्या 2 के निस्तारण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी ने इस वाद का मूल्यांकन प्रभावित सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार 1000/- रुपये नियत किया है, जो कि उचित है। वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार याचित अनुतोष के लिए न्यायशुल्क अदा करना है, जैसा कि मुंसरिम की रिपोर्ट के अनुसार, जो न्याय शुल्क

O.S. No. 382/18

वादी ने अदा किया है वह पर्याप्त है।

प्रतिवादीगण इस वाद बिन्दु को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः
वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क पर्याप्त है।

तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 3 सकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में और
प्रतिवादीगण के विरुद्ध में निर्णीत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 28/05/2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा,
अम्बेडकरनगर,
जे0ओ0 कोड यूपी2353